

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2019

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0003

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

16/05/2019 14:25 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	409
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471
6	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
7	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/05/2019 **Time (समय):** 14:05 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 009 **Date and Time (दिनांक और समय):** 16/05/2019 14:10 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence**

(घटनास्थल):

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** गांव कांवला, अम्बाला

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

- (a) Name (नाम): रशपाल सिंह निरीक्षक
 (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1962 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	कार्यालय एस वी बी, अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	कार्यालय एस वी बी, अम्बाला, ACB, Ambala, Anti Corruption Bureau, Haryana, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	राकेश कुमार			1. कांवला, अम्बाला, BALDEV NAGAR, AMBALA, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्री मान जी, नकल लेख इस प्रकार से है:- सेवा में, प्रबंधक अफसर थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला श्री मान जी, जांच क्रमांक 03 दिनांक 21.04.2016 अम्बाला मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चौकसी ब्यूरो विभाग के यादी क्रमांक 61/30/2014-2 चौकसी-II दिनांक 11.04.2016 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा के पृष्ठांक 5287/आई-3 राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला दिनांक 29.04.2016 के अनुसार पंजीकृत होकर पड़ताल के लिये प्राप्त हुई थी। जिसमें आरोप था कि श्री राकेश कुमार, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कांवला जिला अम्बाला द्वारा मुख्य अभियन्ता, अधीक्षक अभियन्ता पंचायती राज अम्बाला, कार्यकारी अभियन्ता पंचायती राज अम्बाला, उप मण्डल अभियन्ता पंचायती राज अम्बाला, कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज अम्बाला व खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अम्बाला की देखरेख में गांव कांवला में ईन्टरलॉकिंग गलियां बनाई गई है तथा जिन नालों का निर्माण किया गया है उन्हें पूरा करने का अनुमानित अवधि 4 माह थी, परन्तु उक्त द्वारा समय पर कार्य पूरा नहीं किया गया न ही अधिकारियों द्वारा निर्माण कार्य पर लगाये मैटिरियल व मौका का निरीक्षण नहीं किया गया। यह निर्माण कार्य सुचारु रूप से ना करके श्री राकेश कुमार, पूर्व सरपंच गांव कांवला व उक्त अधिकारियों द्वारा आपस में मिलीभगत करके पंचायत की राशि का गबन किया है। जिसकी जांच श्री अनिल कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला द्वारा की गई। जांच के दौरान श्री राकेश कुमार, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत, कांवला के कार्यकाल के दौरान गांव में करवाये गये विकास कार्यों का मुल्यांकन कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा करवाया गया। कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा गांव कांवला में गली व नालों के निर्माण कार्यों में प्रयोग की गई निर्माण सामग्री के नमूने लेकर जांच हेतु न्यायवैदिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन करनाल में भेजे गये। न्यायवैदिक विज्ञान प्रयोगशाला, मधुबन करनाल के परिणाम अनुसार उपरोक्त सभी नमूनों में निर्धारित मापदण्डों अनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग न किये जाने के कारण सभी नमूने फेल पाये गये। जिस सम्बंध में कार्यकारी अभियन्ता, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा दी गई तकनीकी रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा करवाये गये विकास कार्यों में अनियमितताओं/घटिया सामग्री प्रयोग करके कुल 37,11,503 रुपये का गबन पाया गया है। श्री राकेश कुमार, पूर्व सरपंच गांव कौलां नें श्री मनजीत सिंह तत्कालीन ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत कांवला, श्री हरप्रीत सिंह, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता ग्राम पंचायत कांवला व श्री विकास राणा उपमण्डल अभियन्ता कार्यालय खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अम्बाला-II एवं अतिरिक्त कार्यभार खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, अम्बाला-II के साथ मिलीभगत करके गांव के विकास कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग करके व अव्वल सामग्री का रिकार्ड में इन्द्राज करके अपने-2 पदों का दुरुपयोग करके कुल 37,11,503 रुपये की पंचायत फण्ड की राशि का गबन किया है जिनके विरुद्ध अभियोग धाराधीन 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता व 13 (1) सी , 13 (1) डी व r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम के अनुसार अंकित किये जाने का सुझाव देकर अंतिम रिपोर्ट सरकार को भेजी गई थी। जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के पत्र क्रमांक 61/30/2014-2/चौकसी – II दिनांक 10.04.2019 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांक 6250/आई-1/रा.चौ.ब्यु.(ह) दिनांक 16.04.2019 व पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल अम्बाला के आदेश दिनांक 18.04.2019 अनुसार उपरोक्त के विरुद्ध अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये हैं। लेख अभियोग अंकित करने के लिये थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करने उपरांत उच्चाधिकारियों से आगामी अनुसंधान के आदेश प्राप्त करने उपरांत अभियोग फाईल रिकार्ड सहित सम्बंधित अनुसंधान अधिकारी के पास भेजी जाये। sd रशपाल सिंह (रशपाल सिंह) निरीक्षक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला। दिनांक 16.05.2019 at:-अज:- कार्यालय राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला । अज थाना –अज थाना उपरोक्त तहरीर थाना मे प्राप्त होने पर बा हवाला रपट न. 09 समय 2.10 पी.एम. दिनांक 16.05.19 पर अभियोगांक 03 दिनांक 16.05.19 धाराधीन 409/420/467/468/471/120-बी, भा.द.सं. व 13 (1) सी, 13 (1) डी व r/w 13(2) भ्रष्टाचार उन्मूलन अधीनियम के तहत दर्ज रजिस्टर करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पेशल रिपोर्ट बदस्त सिपाही धर्मयुधिष्ठिर न. 148/कुरुक्षेत्र के ड्युटी मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला भेजी जा रही व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर रखी गई जो आने पर आगामी अनुसंधान हेतु हवाले निरीक्षक सोमेश की जायेगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारियों की सेवा मे अलग से भिजवाई जा रही हैं। इन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SOMESH Rank (पद): I (Inspector) KUMAR
No. (सं.): 101A to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Manbir Singh
Rank (पद): SP (Superintendent of Police)
No. (सं.): IPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Error: Subreport could not be shown.

